

लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 32/2022

तारीखरजु:- 7/2/2022

उनवान:- गोपीसहाय बनाम देवीसहाय

दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा
फर्द अहकाम

दिनांक

7/2/22

वादी की ओर से श्री लखनलाल मीना एडवोकेट ने दावा स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 08.03.2022 को पेश हो।

871-79
7/2/2022

क

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

8.3.22 वासी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 1 लगायत 8 की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा मुड० ने पत्रावली पेश कीया जो शकाल पत्रावली रहे। प्रतिवादी न० 9 के नोटिस शकाल डाक प्राप्त नहीं हुई है। वास्ते तलबी सुष जभाब दिनांक 11.4.22 को पेश हो।

क

8.3.22 वकुलाय उपा० वास्ते जबाब एवं तलबी दि० 18.5.22 को पेश हो

क

18.5.22 वकुलाय उपा० प्रतिवादी न० 9 के नोटिस पेश करने के लिए वासी वकील को दिनांक 17.5.22 वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 22.6.22 को पेश हो

क

22.6.22

वकुलाय उपस्थित। शकाल दिनांक 26.7.22 को पेश हो।

क



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पत्तावकी पैसा हुई। वकील उमयपुत्रा कमाण
 उपस्थित/ प्रतिवादी वकील को निषेध दिया
 पैसा कले के बिना ठामिल मोगा निषेध
 वास्ते लखी दिनांक २५/७/२५ को पैसा हो।

पत्तावकी पैसा हुई। वकील उमयपुत्रा कमाण
 कोही उपस्थित उपस्थित नहीं २ बार आपका
 दिनांक गढ़ इसके उपरांत भी वादी खुद
 वादी वकील कोही उपस्थित नहीं हुआ इसके
 वादी का दावा सावर स्थायी निषेध आता
 वादी खुद वादी वकील कोही उपस्थित नहीं हुआ
 इसी में स्वारीज किया जाता है।
 पत्तावकी पैसा वकील द्वारा नमस्ते
 कम कल दाखिल हुए हैं